-: निविदा प्रपत्र :-

कार्य का नाम	:- कोटा नगर निगम दक्षिण क्षैत्र में सार्वजनिक रूप से विचरण करने वाले पालतू/आवारा सुअर पकड़ने का कार्य।
अनुमानित व्यय	:- 4.90 लाख।
धरोहर राशि	:- 9800/- पे आर्डर नं0 .... दिनांक ....
निविदा शुल्क	:- 500/- पे आर्डर नं0 .... दिनांक ....

(टेण्डर शुल्क व धरोहर राशि ड्राफ्ट पृथक - पृथक संलग्न करना होगा।)

ईन्टरनेट से निविदा प्राप्त की तिथि	:- 13.04.2022 से 25.04.2022 तक
टेण्डर प्राप्ति की दिनांक	:- 26.04.2022 दोपहर 3.00 बजे तक
टेण्डर खुलने की दिनांक	:- 26.04.2022 सांय 4.00 बजे
कार्य अवधि	:- संविदा वार्षिक अनुबंध
निविदादाता का नाम व डाक	:- ....
का पूरा पता मय फोन नं.	....

दर प्रति सुअर अंको में :- ....

शब्दो में :- ....

मैंने सलंग्न शर्तो, निर्देशो का भली भांति अध्ययन कर लिया है। और मैं उक्त शर्तो का पालन करूगां

आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण

हस्ताक्षर संवेदक

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)

—: आवारा सुअर पकडने का कार्य वार्षिक अनुबंध की शर्ते :—

1. सुअरों को पकड़ने का कार्य महापौर/उपमहापौर/पार्षद/आयुक्त/उपायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम कोटा दक्षिण के द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा।
2. संवेदक को नगर निगम कोटा दक्षिण के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वाले सुअरों को नगर निगम कोटा दक्षिण के निर्देशानुसार पकडना होगा।
3. आवारा सुअरों को पकड़ने के सभी प्रकार के उपकरण संवेदक के होगे। नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा सुअर पकडने के किसी प्रकार के उपकरण संवेदक को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।
4. संवेदक द्वारा पकड़े गये आवारा सुअरों को नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा डाबी रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर छोडने के लिये वाहन निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
5. संवेदक को पकड़े गये आवारा सुअरों को नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा बताये गये स्थान/बाडे में छोड़ना होगा तथा उनकी संख्या का इन्द्राज दिनांक वाईज रजिस्टर में करना होगा। जिस क्षेत्र में सुअर पकडे जाये उस क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक से सुअरों की संख्या का प्रमाणीकरण करना होगा। उसी के आधार पर संवेदक को भुगतान किया जावेगा।
6. यदि संवेदक द्वारा पकडे गये सुअरों को नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा निर्धारित स्थान/बाडा की जगह अन्य स्थान पर छोड़ा गया गया तो 1000/— प्रति सुअर शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
7. संवेदक द्वारा पकड़े गये सुअरों की दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में अगले दिन 11.00 बजे कार्यालय जनस्वास्थ्य अनुभाग में प्रस्तुत करनी होगी।
8. स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार स्थान से सुअर पकड़कर निर्देशित स्थान पर छोड़ा जावेगा।
9. सुअरों को निर्धारित भोजन (खाना खुराक) की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।
10. पशु क्रूरता नियमों की पालना कर ही सुअर पकडने होगे। यदि नियमों की पालना नहीं होती है तथा इस वजह से कोई आपत्ति आती है तो समस्त प्रकार के विवाद के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
11. निगम हित में कार्यादेश/अनुबंध कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अन्दर मियाद 3 दिवस में नियमानुसार राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निगम में प्रस्तुत करना होगा।
13. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी नगर निगम कोटा दक्षिण में निहित होगा।
14. निविदायें बन्द लिफाफो में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का पूर्ण विवरण अंकित कर पेश करने होगें। निविदा बन्द लिफाफे में निर्धारित समय व दिनांक तक ही प्रस्तुत की जा सकेगी। उसके बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकण द्वारा पूर्ण किया जायेगा।
16. निविदा की दरे शब्दों एंव अंको दोनों में लिखी जाये ताकि स्पष्टता बनी रहे। यदि कोई अंक या शब्दों में ओवर राईटिंग अथवा कटिंग की गई हो तो निविदा अमान्य होगी।
17. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलों में जब्त कर ली जावेगी।
    1. जब कार्य आदेश देने के बावजूद निर्देशानुसार कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है।
    2. निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को संपादित नहीं करता है।
    3. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव का वापस ले लेता है।
    4. निविदा की शर्तो की पालना नहीं करता है।
18. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
19. किसी विवाद के लिये अन्तिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का मान्य होगा।
20. अनुबंध के समय निविदा राशि का 05 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी।
21. यदि आवश्यक हो तो जी.एस.टी. का भुगतान का दायित्व संवेदक को होगा।
22. आर.टी.पी.पी.एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 में दिये गये निर्देश निविदा लागू होगे।
23. संवदेक फर्म को किसी उपापन संस्था द्वारा पिछले 05 वर्ष में ब्लैकलिस्टेड या डीबार नहीं होने एवं नगर निगम कोटा दक्षिण के महापौर/उपमहापौर/पाषर्द/अधिकारी एवं कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नहीं होने का रू. 50/— का पृथक—पृथक नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मैने सलंग्न शर्तो,निर्देशो का भली भांति अध्ययन कर लिया है , मैं उक्त से सहमत हूँ , एंव पालन करूगां।

हस्ताक्षर संवेदक :— ....
नाम :— ....
पता :— ....
फोन नं./मोबाईल नं. :— ....

आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण